



3274
3274

न्यायालय :- तहसीलदार

पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह

मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507922

वाद संख्या:- 7922/2026

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम गुरू प्रसाद

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/06/2026

वाद सं०

ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। विक्रेता अनुसूचित जाति का नहीं है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00175 की खसरा संख्या 2587 का कुल रकबा 0.0500 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166 हे० व खसरा संख्या 2647 का कुल रकबा 0.1770 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0590 हे० व खसरा संख्या 2892 का कुल रकबा 0.5190 हे० में से विक्रीत रकबा 0.173 हे० व खाता सं० 00300 की खसरा संख्या 2599 का कुल रकबा 0.2720 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0302 हे० व खसरा संख्या 2646 का कुल रकबा 0.2910 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0323 हे० व खाता सं० 00834 की खसरा संख्या 2585 का कुल रकबा 0.1140 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126 हे० व खाता सं० 00835 की खसरा संख्या 415 का कुल रकबा 0.0190 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021 हे० व खसरा संख्या 1140 का कुल रकबा 0.0850 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0094 हे० व खसरा संख्या 2038 का कुल रकबा 0.1010 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0112 हे० व खसरा संख्या 2227 का कुल रकबा 0.0840 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0093 हे० व खसरा संख्या 2584 का कुल रकबा 0.1850 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0205 हे० व खसरा संख्या 2601 का कुल रकबा 0.2590 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0287 हे० व खसरा संख्या 2893 का कुल रकबा 0.0380 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042 हे० व खसरा संख्या 2546 का कुल रकबा 0.1140 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126 हे० व खसरा संख्या 3274 का कुल रकबा 0.0380 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042 हे० व खाता सं० 00302 की खसरा संख्या 218 का कुल रकबा 0.0130 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0014 हे० व खसरा संख्या 2621 का कुल रकबा 0.0060 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0006 हे० व खसरा संख्या 2551 का कुल रकबा 0.2910 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0323 हे० व खसरा संख्या 2617स का कुल रकबा 0.0510 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0056 हे० व खसरा संख्या 2634 का कुल रकबा 0.1140 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126 हे० व खसरा संख्या 2674 का कुल रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0168 हे० व खसरा संख्या 2870 का कुल रकबा 0.0760 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084 हे० व खसरा संख्या 2656 का कुल रकबा 0.2660 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0295 हे० व खसरा संख्या 2676 का कुल रकबा 0.3670 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0407 हे० कुल रकबा 3.6820 हे० में से विक्रीत रकबा 0.5738 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री गुरू प्रसाद पुत्र मोहन, निवासी दोना, विशेश्वर खेडा, लखनऊ उ०प्र० नाम



निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 12.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं0-2678

दिनांक: तहसीलदार

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507897
वाद संख्या:- 7897/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम संतराम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/05/2026

ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00175 की गाटा सं० 2587/0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166हे०, 2647/0.1770हे० में से विक्रीत रकबा 0.0590हे०, 2892/0.5190हे० में से विक्रीत रकबा 0.1730हे०, खाता सं० 00300 की गाटा सं० 2599/0.2720हे० में से विक्रीत रकबा 0.0302हे०, 2646/0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0323हे०, खाता सं० 00834 की गाटा सं० 2585/0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, खाता सं० 00835 की गाटा सं० 415/0.0190हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, 1140/0.0850हे० में से विक्रीत रकबा 0.0094हे०, 2038/0.1010हे० में से विक्रीत रकबा 0.0112हे०, 2227/0.0840हे० में से विक्रीत रकबा 0.0093हे०, 2584/0.1850हे० में से विक्रीत रकबा 0.0205हे०, 2601/0.2590हे० में से विक्रीत रकबा 0.0287हे०, 2893/0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०, 2546/0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, 3274/0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०, खाता सं० 00302 की गाटा सं० 218/0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0014हे०, 2621/0.0060हे० में से विक्रीत रकबा 0.0006हे०, 2551/0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0323हे०, 2617/0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0058हे०, 2634/0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, 2674/0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.0168हे०, 2870/0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084हे०, 2656/0.2660हे० में से विक्रीत रकबा 0.0295हे०, 2676/0.3670हे० में से विक्रीत रकबा 0.0407हे०, कुल रकबा 3.6820हे० में से विक्रीत रकबा 0.5738हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री संतराम पुत्र मोहनलाल निवासी दोना विशेषवर खेडा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं०

2625

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"